



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224569
CG-DL-E-20012021-224569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]
No. 252]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 273(अ).—केंद्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियमावली 1976 के नियम 3, 4 और 11 के साथ पठित दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 17) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, इस मंत्रालय के दिनांक 28.11.2019 की अधिसूचना की निरंतरता में केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति में निम्नलिखित प्रतिस्थापना करती है, जो दिनांक 09.11.2020 से प्रभावी है:

क्रम संख्या 13 पर :

श्रीमती किरण खेर, संसद सदस्य, लोक सभा के स्थान पर डॉ. (श्रीमती) भारतीबेन धीरुभाई शियाल, संसद सदस्य, लोक सभा ।

[फा. सं. एलएच-11016/2/2018-एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2021

S.O. 273(E).—In pursuance of Sub-section (1) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (No.17 of 1927) read with Rules 3,4 and 11 of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976, and in continuation of Gazette Notification dated 28.11.2019, the Central Government hereby makes the following substitution in the Central Advisory Committee for Lighthouses with effect from 09.11.2020.

At S. No.13

Dr. (Smt.) Bharatiben Dhirubhai Shiyal, Member of Parliament (Lok Sabha) in place of Smt. Kirron Kher, Member of Parliament (Lok Sabha) as member of Central Advisory Committee for Lighthouses.

[F. No. LH-11016/2/2018-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.